कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मथुरा

पत्रांक रां0/बे0शि0/276-78 / 2018–19 दिनांक 11-7-2018.

प्रबंधक,
कान्हा माखन पब्लिक स्कूल,
राधा टाउन के सामने, एन.एच –2
बाद, मथुरा

विषय :– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 की उपनियम (4) के अधिनियम विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया

आपके दिनांक 09–05–18 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं कान्हा माखन पब्लिक स्कूल राधा टाउन के सामने, एन.एच –2 बाद, मथुरा को दिनांक 01–07–2018 से दिनांक 30–06–2021 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए कक्षा प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक अंग्रेजी माध्यम के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है :–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 2) की उपबधो का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या 25 प्रतिशत तक आसपड़ोस की कमजोर वर्गों और सुविधा–विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रति पूर्तिया प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रहेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय के किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय के किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देनेसे इंकार नहीं करेगा। वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो कापालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :–
   - (i) प्रवेश दिये गये किसी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक उसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
   - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नही किया जाएगा।
   - (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
   - (iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
   - (v) अधिनियम के उपबध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
   - (vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अरर्हताओं के साथ ही की जाती है। परन्तु और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ न्यूनतम अर्हताएं नहीं है पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
   - (vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।
   - (viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रिया कलापों को नियोजित नहीं करेंगे।

Principal
Kanha Makhan Public School
Baad, Mathura

Kanha Makhan Public School
Manager

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्य चर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है :–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल – **12017 वर्गमीटर**
कुल निर्मित क्षेत्र – **3474 वर्गमीटर**
क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल – **8543 वर्गमीटर**
कक्षाओं की संख्या – **72**
प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह भंडागार के लिए कक्ष – **है**
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय – **है**
पेयजल की सुविधा – **है**
मिड डे मील पकाने के लिए रसोई – **है**
बाधा रहित पहुंच – **है**
अध्यापक पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता – **है**

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रायोजनों के लिए किया जाता है।

11. विद्यालयों को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) एक के अधिनियम रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा तत्समय प्रवत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जारहा है।

12. स्कूल को किसी दृष्टि, दृष्टियों के समूह या संगम या किंन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जारहा है।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर अकांउट द्वारा समपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वाराप्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 15/10 है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करे।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सचूना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किया जाए।

16. सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित कियाजाए।

17. संलग्न उपाबंध के अनुसार कोई अन्य शर्त।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मथुरा

पू0सं0/बे0शि0/ 276-78 /2018–19 दिनांक वही

प्रतिलिपि – निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मंडलीय सहायक निदेशक (बेसिक) आगरा।
2. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद–मथुरा।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मथुरा

Principal
Kanha Makhan Public School
Baad, Mathura

Kanha Makhan Public School
Manager